बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–07/2020 267 /पटना, दिनांकः– 01/08/22

कार्यालय आदेश

श्री इन्द्रवंश राय, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार, भोजपुर (आरा) संप्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, उप निदेशक (सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक–354/स्था० दिनांक–15.03.2021 द्वारा श्री इन्द्रवंश राय द्वारा बिना स्थलीय जाँच किये ही रैयती भूमि पर इंदिरा आवास आवंटित करने, इंदिरा आवास आवंटन के पूर्व अभिलेख का संधारण नहीं कराये जाने एवं उसका रख–रखाव में शिथिलता बरतने तथा माननीय सदस्य (न्यायिक)लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा परिवाद सं०–01/लोक(सहकारिता) 03/2016 में दिनांक–23.10.2017 को पारित आदेश के अनुसार वर्ष 2014–15 में धान अधिप्राप्ति में धनछुआ पैक्स अध्यक्ष द्वारा भू–लगान रसीद के साथ काफी छेड़छाड़ करने के कारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों को न मिलकर अधिकांश मामलों में बिचौलियों को मिलने में इनकी सहभागिता के समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–241 सहपठित ज्ञापांक–1280 दिनांक–07.10.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) (क) में किये गये प्रावधान के तहत श्री इन्द्रवंश राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), भोजपुर (आरा) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) से इस मामले के जानकार किसी पदाधिकारी की नियुक्ति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में करने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के आदेश संख्या–164/21–22 सहपठित ज्ञापांक–1290/स्था० दिनांक–01.12.2021 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार(भोजपुर) को इस विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण /उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक–2016 /रा० दिनांक–24.06.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि भोजपुर जिले में वर्ष 2017 से अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) का पद रिक्त रहने के कारण अपर समाहर्त्ता, भोजपुर ही उक्त पद का कार्य देख रहे हैं।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भोजपुर (आरा) के पत्रांक–1400/रा० दिनांक–17.05.2022 द्वारा श्री इन्द्रवंश राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" (i) कंडिका (1) में लगाये गये आरोप के संदर्भ में कहना है कि श्री इन्द्रवंश राय, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार, भोजपुर (आरा) संप्रति अंचलाधिकारी, पकड़ी दयाल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) (अवर सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग) द्वारा खाता सं०–476 वो 94 सांख्यिकी में भूमि पर इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई थी, जिस पर लाभुकों का दखल कब्जा लम्बे अरसे से है। प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में दिनांक–13.04.2013 से 16.02.2014 तक कार्यरत थे। उक्त अवधि में उनके द्वारा खाता सं०–476 वो 94 खतियानी में सिक्कमी भूमि पर इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई थी। खतियान के अनुसार उक्त भूमि पर लाभुकों का दखल कब्जा सिक्कमी दखलकार के रूप में पूर्व से है।

अतः इनके उपर लगाये गये आरोप कि इन्दिरा आवास का आवंटन रैयती भूमि पर की गई है, प्रमाणित नहीं होता है, जहॉ तक अभिलेख का संधारण नहीं कराये जाने एवं उसके रख–रखाव में शिथिलता बरतने का आरोप है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी इंदिरा आवास सहायक की थी कि वे अभिलेख का संधारण एवं रख–रखाव सही ढंग से करें। इसके लिए उन्हें दंडित भी किया गया है।

(ii) कंडिका (2) के संदर्भ में कहना है कि वर्ष 2014–15 में धनछुहॉ पैक्स अध्यक्ष श्री रंगनाथ शर्मा द्वारा धान क्रय हेतु निर्धारित तिथि के अंतिम दिन आनन–फानन में Enforcement के लिए बैंक Advice के साथ प्रस्तुत किया, जाना इस बात को दर्शाता है कि धनछुहॉ पैक्स अध्यक्ष की मंशा गलत कराया जाना था। इसी क्रम में उनके द्वारा अंतिम दिन Enforcement के लिए बैंक Advice अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा राजस्व लगान रसीद में किये गये छेड़छाड़ को अंचलाधिकारी द्वारा गहराई से अध्ययन नहीं किया जा सका। चूंकि अंतिम दिन होने के कारण यह सभंव है कि अंचलाधिकारी अत्यधिक कार्य बोझ होने के कारण कागजात को गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं कर पाये, परन्तु किसी भी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने के पूर्व अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वे उसे बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। Enforcement आदेश निर्गत करने में अंचलाधिकारी की भूमिका गलत दृष्टिकोण से देखना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें इनकी Mens rea परिलक्षित नहीं हो रही है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य के आलोक में आरोपी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी –सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री इन्द्रवंश राय, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रभाारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार, भोजपुर (आरा)

(अवर सांख्यिकी पदाधिकारी /प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी संवर्ग) के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।"

अतः संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष कि श्री इन्द्रवंश राय के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, से सहमत होते हुए श्री इन्द्रवंश राय, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार, भोजपुर (आरा) संप्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, उप निदेशक (सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को भविष्य में कार्यो के प्रति सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इनके निलंबन अवधि को कार्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–07/2020 1389 /पटना, दिनांक :– 01/08/22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को उनके पत्रांक–354/स्था० दिनांक–15.03.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक (सां०) पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री इन्द्रवंश राय, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार, भोजपुर (आरा) संप्रति निलंबित अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, उप निदेशक (सां०) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/22

निदेशक